प्रेस नोट,दिनांक-13.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

अवैध रूप से व्यापार कर रहे 01 पटाखा व्यापारी गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा आरोरियों को पटाखा तैयार करते हुए धर दबोचा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत स्टेट बैंक के बगल शेखपुर आशिक से पटाखा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अवैध विस्फोटक पदार्थ किये गये बरामद

कुल 153 किलो 800 विस्फोटक सामग्री(सल्फर पाउडर, कास्ट आयरन बुरादा, एल्युमिनियम बारूद पाउडर, एल्युमिनियम सिल्वर, सिल्वर बुरादा, पोटाश,कोयला पाउडर), फुलझड़ी 9गत्ता(1गत्ता=480 पीस),1बोरी पटाखे, 2 बोरी रैपर के साथ आरोपी मो0 मुस्तकीम गिरफ्तार

आने वाले बारावफात, दशहरा, दीपावली त्योहार के लिए गोला बारुद पटाखा व फुलझड़ी बनाकर रख रहे थे अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर दिनांक 12.09.2024 को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शेखपुर आशिक से पटाखा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अवैध विस्फोटक पदार्थ, कुल 153 किलो 800 विस्फोटक सामग्री(सल्फर पाउडर, कास्ट आयरन बुरादा, एल्युमिनियम बारूद पाउडर, एल्युमिनियम सिल्वर, सिल्वर बुरादा, पोटाश,कोयला पाउडर), फुलझड़ी 9गत्ता(1गत्ता=480 पीस),1बोरी पटाखे, 2 बोरी रैपर के साथ 01 अभियुक्त, मुस्तकीम पुत्र स्व0 आस मोहम्मद निवासी शेखपुर आशिक थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

153 किलो 800 विस्फोटक सामग्री(सल्फर पाउडर, कास्ट आयरन बुरादा, एल्युमिनियम बारूद पाउडर, एल्युमिनियम सिल्वर, सिल्वर बुरादा, पोटाश,कोयला पाउडर), फुलझड़ी 9गत्ता(1गत्ता=480 पीस),1बोरी पटाखे, 2 बोरी रैपर बरामद हुआ है। जिसमे मुस्तकीन उर्फ चंदा पुत्र आसमोहम्मद निवासी शेखपुर आशिक को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा मुर्सलीम पुत्र आसमोहम्मद मौका पाकर निकल

गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पुर मु0अ0सं0 262/24 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा 288 बीएनएस बनाम 01. मुस्तकीम पुत्र स्व0 आस मोहम्मद 02. मो0 मोरसलीन पुत्र आस मोहम्मद निवासीगण शेखपुर आशिक थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नें बताया कि जो व्यक्ति मौके से भागा है वह मेरा भाई मो0 मोरसलीन है उसी के नाम बारुद बनाने का लाइसेंस है। जिसकी गोदाम नहर बम्बी के किनारे इदगाह शेखपुर के पास है। हम लोग उसी लाइसेंस की आड़ में गोला बारुद बनाते व बेचते हैं। और बताया कि आने वाले बारावफात दशहरा दीपावली त्योहार के लिए गोला बारुद पटाखा व फुलझड़ी बनाकर रख रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुस्तकीम पुत्र स्व0 आस मोहम्मद निवासी शेखपुर आशिक थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. 153 किलो 800 ग्राम पटाखा बनाने का कच्चा सामग्री,
02. फुलझड़ी 09 गत्ता,
03. 1 बोरी पटाखे,
04. 2 बोरी रैपर आदि

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह चौहान थाना कुण्डा, प्रतापगढ़
02. उ0नि0 श्री निर्मल कुमार थाना कुण्डा, प्रतापगढ़
03. उ0नि0 श्री रामायण सिंह थाना कुण्डा, प्रतापगढ़
04. का0 उमाशंकर भारती थाना कुण्डा, प्रतापगढ़
05. कां0 वैभव सिंह थाना कुण्डा, प्रतापगढ़

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे0कां0 दुर्गविजय, कां0 जगवीर यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एसटी नं0 38/2010 मु0नं0 80/09 धारा 307 भादवि व एसटी नं0 184/2017 मु0नं0 162/15 धारा 323, 504, 506

भादवि व धारा 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना जेठवारा से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- सुरेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामलाल पाण्डेय निवासी ग्राम रावतपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01-सुरेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामलाल पाण्डेय निवासी ग्राम रावतपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे0कां0 दुर्गविजय, कां0 जगवीर यादव थाना जेेेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत धमकी/ गाली गलौच,मारपीट व फायरिंग की घटना का करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरेनरायानदास के खडन्जा मार्ग से 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत छोटेगंज बाजार में वादी जितेन्द्र बहादुर पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ग्राम शाहवारी थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ मौर्या की चाय की दुकान पर चाय पीने गया था उसी समय चार मोटर साइकिल सवार हमलावरों ने जान से मारने की नियत से वादी को धमकी देने, गाली गलौच कर मारपीट कर फायरिंग कर दिये थे। जिसके संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2),115(2),352,351(2)351(3),109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 07 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी सांगीपुर के नेतृत्व में दिनांक 13.09.2024 को थाना सांगीपुर के उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2),115(2),352,351(2)351(3),109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त राजकुमार सिंह उर्फ राजा पुत्र श्री शिवप्रसाद सिंह निवासी ग्राम निवासी पूरे

नरायनदास थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के ग्राम पूरेनरायानदास के खडन्जा मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2),115(2),352,351(2)351(3),109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजकुमार सिंह उर्फ राजा पुत्र श्री शिवप्रसाद सिंह निवासी ग्राम निवासी पूरे नरायनदास थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव हस्बुल तलब हमराह मय हमराह उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

आरोपी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 13.09.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 310/24 धारा 65(1), 333, 351(3) बीएनएस व 3क/4(2) पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अभियुक्त इमरान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व0 महमूद अली नि0 होलागढ थाना होलागढ जनपद प्रयागराज को दिनांक 13.09.2024 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त इमरान को मु0अ0सं0 310/24 धारा 65(1), 333, 351(3) बीएनएस व 3क/4(2) पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इमरान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व0 महमूद अली नि0 होलागढ थाना होलागढ जनपद प्रयागराज।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

क्षेत्रान्तर्गत अमरई हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार प्रतापगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.05.2024 को अभियुक्तगण द्वारा पुरानी रंजिश में एकराय होकर वादी मुकदमा पर फायर कराने करने के प्रकरण में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 307 भादवि बनाम 02 नामजद पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दबिश दिया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (रानीगंज) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी फतनपुर के नेतृत्व में,

दिनांक 13.09.2024 को थाना फतनपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार मय हमराह दिनेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान,

मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 307 भादवि से वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र जैनेद्रमणि पाण्डेय निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्र्तत अमरई से हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अखिलेश कुमार पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र जैनेद्रमणि पाण्डेय निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दिलीप कुमार मय हमराह दिनेश कुमार थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ।